

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो  
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,  
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड,  
कोटा (राजस्थान) 324005  
EPABX-0744-2438928



Government of India  
Ministry of Finance, Department of Revenue  
Central Bureau of Narcotics  
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,  
Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road,  
Kota (Rajasthan) 324005  
e-mail : dnc-kota@cbn.nic.in

फा.सं. I(22)7/Adm/Misc/2022/Pt-I-

दिनांक : 13.01.2023

### :: नीलामी की सूचना ::

विषय: निष्प्रयोजित घोषित वाहनों के निस्तारण के संबंध में।

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की राजस्थान इकाई में निष्प्रयोजित 1 “चार पहिया” वाहन के निस्तारण हेतु “जो जहा है वही” के आधार पर नीलामी प्रस्तावित की जा रही है। नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहन का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Registration No.	Make & Model	Stationed at	Reserve price (आरक्षित मूल्य)
1.	RJ 20 C 6949	Ambassador Car, 1998	DNC(O), Kota	Rs. 42000/-

- उक्त वाहन को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोजित घोषित किया जा चुका है व वाहनों का मूल्यांकन संबंधित राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग, कोटा द्वारा कर, वाहनों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि उपरोक्त तालिका में “**Reserve price (आरक्षित मूल्य)**” के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- उक्त वाहन हेतु अलग—अलग सीलबंद किए गये कोटेशनों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार वाहनों के निस्तारण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु व्यक्ति/फर्म, जो कि उक्त वाहनों को खरीदने में रुचि रखता है, अपने उच्चतम दर के कोटेशन सील बंद लिफाफों में कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा में **दिनांक 21.02.2023** को शाम 3:00 बजे तक जमा करना होगा।
- उक्त संबंध में प्रस्तुत सीलबंद कोटेशनों के लिफाफों पर साफ शब्दों में लिखा होना आवश्यक है कि “**QUOTATION FOR PURCHASE OF CONDEMNED VEHICLE Make & Model**”। प्राप्त सभी कोटेशनों को इस हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 21.02.2023 को शाम 4:00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- उक्त वाहनों का निरीक्षण श्रीमान अधीक्षक (प्रशासन), कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा की उपस्थिति में दिनांक 21.02.2023 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

### वाहनों की नीलामी कार्यवाही हेतु नियम व शर्तें

- वाहनों की नीलामी “जो जहा है वही” के आधार पर की जाएगी। अतः प्रत्येक बोलीदाता को अलग—अलग सीलबंद किया गया कोटेशन जमा करना होगा।
- नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोलीदाता को उपरोक्त चार पहिया वाहनों हेतु रु. 3000/- (तीन हजार हजार रु. मात्र) की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), खातेदार के रूप में “D.D.O. CBN, Kota” के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- बिना सुरक्षा जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (Earnest Money Deposit) के दिये जाने वाले कोटेशन पर विचार नहीं कर उसे खारिज कर दिया जाएगा।

- iv. प्राप्त सभी कोटेशनों को गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 21.02.2023 को शाम 4:00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- v. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के 3 कार्य दिवसों के भीतर "D.D.O. CBN, Kota" के पक्ष में नकद/आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से बोली राशि आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- vi. सफल बोलीदाता की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को निविदा राशि जमा होने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को बोली राशि के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकेगा, एवं नीलामी में अनियमितता पर सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा निविदा राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उस वाहन हेतु उच्चतम बोली से कम व आरक्षित मूल्य से अधिक राशि के बोलीदाता को मौका दिया जा सकता है अथवा नीलामी प्रक्रिया रद्द कर पूर्ण रूप से पुनः शुरू की जाएगी।
- vii. सफल बोलीदाता द्वारा आवासीय पते के संबंध में कागजी रूप में साक्ष्य (बोलीदाता, व्यक्ति होने की दशा में पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि व बोलीदाता, फर्म होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र आदि) प्रस्तुत करने पर ही नीलाम किए गए वाहन को ले जाने की अनुमति होगी।
- viii. सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा कराने के 2 दिवस के भीतर ही नीलामी के तहत प्राप्त किए गए वाहन को स्वयं के खर्च पर ले जाना होगा।
- ix. नीलामी में तहत विक्रय किए गए वाहन के लिए विभाग द्वारा उसकी योग्यता व गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।
- x. वाहन की बिक्री के पश्चात वाहन का वाणिज्यिक या अन्य उपयोग करने के लिए वाहन के हस्तातंरण और अन्य किसी दायित्व के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- xi. सफल बोलीदाता प्राप्त किये गए वाहन के पंजीकरण प्रमाण—पत्र और आर.टी.ओ द्वारा आवश्यक अन्य किसी दस्तावेज को प्राप्त करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा व इसके लिए आवश्यक खर्च भी स्वयं उसके द्वारा ही वहन किए जाएंगे। यह कार्यालय इस संबंध में उसकी ओर से किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- xii. यदि सफल बोलीदाता वाहन को स्क्रेप के रूप में उपयोग में लेना चाहता है तो उसे चेचिस नंबर वाले पार्ट को काटकर इस कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
- xiii. बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोली वापस नहीं ली जा सकती है और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- xiv. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा द्वारा कोई भी कारण बताए बिना, किसी भी समय, इस निविदा को रद्द करने, किसी भी कोटेशन को अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम व शर्तों में संशोधन/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- xv. नीलामी हेतु उपलब्ध वाहन की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रोफार्मा अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है।

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) –474006 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सेल्वा मुरुगन, अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)–474006 को नीलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
3. श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, झालावाड रोड, कोटा।
4. श्रीमान प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कोटा।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच।

  
 (वी0एस0 मीणा)  
 सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,  
 कोटा, राजस्थान।

  
 (वी0एस0 मीणा)  
 सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,  
 कोटा, राजस्थान।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो  
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,  
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड,  
कोटा (राजस्थान) 324005  
EPABX-0744-2438928



Government of India  
Ministry of Finance, Department of Revenue  
Central Bureau of Narcotics  
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,  
Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road,  
Kota (Rajasthan) 324005  
e-mail : dnc-kota@cbn.nic.in

फा.सं. I(22)7/Adm/Misc/2022/Pt-I-

दिनांक : 13.01.2023

### :: नीलामी की सूचना ::

विषय: निष्प्रयोजित घोषित वाहनों के निस्तारण के संबंध में।

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की राजस्थान इकाई में निष्प्रयोजित 1 “चार पहिया” वाहन के निस्तारण हेतु “जो जहा है वही” के आधार पर नीलामी प्रस्तावित की जा रही है। नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहन का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Registration No.	Make & Model	Stationed at	Reserve price (आरक्षित मूल्य)
1.	RJ 20 C 6949	Ambassador Car, 1998	DNC(O), Kota	Rs. 42000/-

2. उक्त वाहन को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोजित घोषित किया जा चुका है व वाहनों का मूल्यांकन संबंधित राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग, कोटा द्वारा कर, वाहनों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि उपरोक्त तालिका में “**Reserve price (आरक्षित मूल्य)**” के अंतर्गत दर्शाया गया है।
3. उक्त वाहन हेतु अलग—अलग सीलबंद किए गये कोटेशनों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार वाहनों के निस्तारण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु व्यक्ति/फर्म, जो कि उक्त वाहनों को खरीदने में रुचि रखता है, अपने उच्चतम दर के कोटेशन सील बंद लिफाफों में कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा में दिनांक 21.02.2023 को शाम 3:00 बजे तक जमा करना होगा।
4. उक्त संबंध में प्रस्तुत सीलबंद कोटेशनों के लिफाफों पर साफ शब्दों में लिखा होना आवश्यक है कि ”**QUOTATION FOR PURCHASE OF CONDEMNED VEHICLE Make & Model**”। प्राप्त सभी कोटेशनों को इस हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 21.02.2023 को शाम 4:00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
5. उक्त वाहनों का निरीक्षण श्रीमान अधीक्षक (प्रशासन), कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा की उपस्थिति में दिनांक 21.02.2023 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में किया जा सकता है।

\*\*\*\*

### वाहनों की नीलामी कार्यवाही हेतु नियम व शर्तें

- i. वाहनों की नीलामी ‘जो जहा है वही’ के आधार पर की जाएगी। अतः प्रत्येक बोलीदाता को अलग—अलग सीलबंद किया गया कोटेशन जमा करना होगा।
- ii. नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोलीदाता को उपरोक्त चार पहिया वाहनों हेतु रु. 3000/- (तीन हजार हजार रु. मात्र) की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), खातेदार के रूप में ”D.D.O. CBN, Kota के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- iii. बिना सुरक्षा जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (Earnest Money Deposit) के दिये जाने वाले कोटेशन पर विचार नहीं कर उसे खारिज कर दिया जाएगा।

- iv. प्राप्त सभी कोटेशनों को गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 21.02.2023 को शाम 4:00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- v. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के 3 कार्य दिवसों के भीतर "D.D.O. CBN, Kota" के पक्ष में नकद/आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से बोली राशि आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- vi. सफल बोलीदाता की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को निविदा राशि जमा होने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को बोली राशि के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकेगा, एवं नीलामी में अनियमितता पर सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा निविदा राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उस वाहन हेतु उच्चतम बोली से कम व आरक्षित मूल्य से अधिक राशि के बोलीदाता को मौका दिया जा सकता है अथवा नीलामी प्रक्रिया रद्द कर पूर्ण रूप से पुनः शुरू की जाएगी।
- vii. सफल बोलीदाता द्वारा आवासीय पते के संबंध में कागजी रूप में साक्ष्य (बोलीदाता, व्यक्ति होने की दशा में पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि व बोलीदाता, फर्म होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र आदि) प्रस्तुत करने पर ही नीलाम किए गए वाहन को ले जाने की अनुमति होगी।
- viii. सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा कराने के 2 दिवस के भीतर ही नीलामी के तहत प्राप्त किए गए वाहन को स्वयं के खर्च पर ले जाना होगा।
- ix. नीलामी में तहत विक्रय किए गए वाहन के लिए विभाग द्वारा उसकी योग्यता व गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।
- x. वाहन की बिक्री के पश्चात वाहन का वाणिज्यिक या अन्य उपयोग करने के लिए वाहन के हस्तातरण और अन्य किसी दायित्व के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- xi. सफल बोलीदाता प्राप्त किये गए वाहन के पंजीकरण प्रमाण—पत्र और आर.टी.ओ द्वारा आवश्यक अन्य किसी दस्तावेज को प्राप्त करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा व इसके लिए आवश्यक खर्च भी स्वयं उसके द्वारा ही वहन किए जाएंगे। यह कार्यालय इस संबंध में उसकी ओर से किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- xii. यदि सफल बोलीदाता वाहन को स्क्रेप के रूप में उपयोग में लेना चाहता है तो उसे चेचिस नंबर वाले पार्ट को काटकर इस कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
- xiii. बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोली वापस नहीं ली जा सकती है और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- xiv. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा द्वारा कोई भी कारण बताए बिना, किसी भी समय, इस निविदा को रद्द करने, किसी भी कोटेशन को अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम व शर्तों में संशोधन/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- xv. नीलामी हेतु उपलब्ध वाहन की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रोफार्मा अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है।

*मा. 13.1.23*  
 (वी0एस0 मीणा)  
 सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,  
 कोटा, राजस्थान।

#### प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) –474006 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सेल्वा मुरुगन, अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)–474006 को नीलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
3. श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, झालावाड रोड, कोटा।
4. श्रीमान प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कोटा।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच।

(वी0एस0 मीणा)  
 सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,  
 कोटा, राजस्थान।

## नीलामी हेतु निष्प्रयोजित वाहन की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रारूप

Full Name of the Bidder			
Address			
Contact No.			
Amount of Earnest Money	Rs. (In Figures)		
	Rs. (In Words)		
Particulars of Demand Draft	No.:-		
	Date:-		
	Bank:-		
	Branch:-		

- ❖ बोलीदाता का पूर्ण पता साथ ही उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे (प्रमाणित वोटर आई.डी./आधार कार्ड/पेन कार्ड)।
- ❖ दिए गये पते पर बोलीदाता को पत्र-व्यवहार हेतु सदैव उपलब्ध होना होगा।

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा द्वारा निष्प्रयोजित घोषित वाहनों की नीलामी के लिए मै/हम मेरी/हमारी अपनी उच्चतम दर निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

S.No.	Registration No.	Make & Model	Reserve price (आरक्षित मूल्य)	<b>Amount Offered</b> (बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली उच्चतम दर)
				Rs. (In Figures)
				Rs. (In Words)

इस नीलामी सूचनाके अंतर्गत उल्लेखित सभी नियमों व शर्तों (विशेष रूप से सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit)से संबंधित शर्तें ) को ध्यानपूर्वक एवं गहनता से पढ़ लिया है एवं मै इनका पालन करने के लिए पुर्णतः सहमत हूँ। यदि मेरे द्वारा इन नियमों/शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को शर्तों के तहत पूर्ण रूप से जब्त होने देने के लिए सहमत हूँ। मै वचन देता हुं की इस नीलामी में सफल बोली के तहत प्राप्त वाहन का उपयोग मेरे द्वारा सिर्फ वैद्य कार्य के लिए किया जाएगा।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :